न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 99/2022

प्रार्थी

सदाराम पुत्र गेनाराम जी (माता सोपु पत्नि श्री गेनाराम जी), जाति–मेघवाल, निवासी–देलदर, हाल– सांथु, तहसील व जिला– जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) ग्राम पंचायत, मण्डवारिया जरिये सरपंच, ग्रा0पं0 मण्ड़वारिया, तह. व जिला–सिरोही
(2) श्रीमती हंजादेवी मेघवाल पत्नी जैसाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी–मण्ड़वारिया, तहसील व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) हंजादेवी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 10 दिसम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी जैसाराम जी, निवासी– देलदर के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा विलेख संख्या 34 दिनांक 04–01–2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से लिखित जबाव पर प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व तथा कब्जे का एक आवासीय भूखण्ड गाँव देलदर में आया हुआ है, जिसकों निगरानी आवेदन के साथ संलग्न प्रस्तुत नक्शा में मार्क A, B, C, D दर्शाया हुआ है। उक्त भूखण्ड का आवंटन, तहसीलदार, सिरोही (आवंटन अधिकारी) द्वारा प्रार्थी के मामा श्री सवदा पुत्र हरनाथ जी भांबी, निवासी–देलदर तथा श्री वीरा पुत्र हरनाथ जी भांबी, निवासी– देलदर के हक में दिनांक 03–01–1965 को किया जाकर पट्टा संख्या 24 श्री सवदा मेघवाल पुत्र हरनाथ जी के हक में तथा पट्टा संख्या 23 श्री वीरा पुत्र हरनाथ जी मेघवाल के हक में जारी किया गया था। जो नक्शा में पट्टा संख्या 23 की भूमि को मार्क A, B, F, E दशाई गया है तथा पट्टा संख्या 24 के भूखण्ड को मार्क E, F, B, D दर्शाया गया है। उक्त आवंटित भूखण्डों पर प्रार्थी के मामाओं ने आवासीय केल्हुपोश मकानों का निर्माण कार्य करवाया तथा उसमें निवास करते रहे है। श्री सवदा तथा वीराजी पुत्र हरनाथ जी भांबी, निवासी– देलदर नाऔलाद फौत हुए, जिनके पीछे प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से उक्त दोनों भूखण्ड उनकी सगी बहन सोपू को उत्तराधिकार में प्राप्त हुये तथा सौपु की मृत्यु होने पर उक्त सम्पत्ति उनके एक मात्र उत्तराधिकार में प्रार्थी को प्राप्त हुई है। प्रार्थी की माता व प्रार्थी उक्त सम्पत्ति पर काबिज होकर उपयोग

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

व उपभोग करते रहे है। उक्त पट्टा की सम्पत्ति पर बने आवासीय मकान पुराने व जर्जर होने के कारण करीब 10—12 वर्ष पुर्व गिर गए थे तथा मलबा मौके पर पड़ा हुआ है। प्रार्थी ने अपने उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु पत्थर व ईटें भी डलवा रखी है। प्रार्थी ने अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु नियमानुसार आवेदन करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि पुर्व सरपंच श्री दलपत पुरोहित ने प्रार्थी के भूखण्डों को हड़प करने के बेईमानीपुर्ण आशय से अप्रार्थी संख्या 2 (दो) श्रीमति हंजादेवी मेघवाल पत्नि जैसाराम जी के साथ आपराधिक षडयंत्र करते हुए यह जानते हुए कि उक्त भूखण्ड मुझ प्रार्थी के कब्जे मालकी के है, फिर भी प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम से जारी कर दिया, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति का पट्टा कानूनन, अप्रार्थी संख्या 2 (दो) या किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में जारी नहीं किया जा सकता है। निर्विवाद रूप से प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का निवास नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) अपने पति जैसाराम के साथ आज भी अपने पति के पुश्तैनी मकान में, जो मेघवाल वास में स्थित है, वहाँ पर निवास करती है। प्रार्थी के भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा तथा स्वामित्व है। पट्टा जारी करने से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना नहीं की गई है। पट्टा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया गया, न ही आपत्ति नोटिस किसी भी प्रकार के जारी किए गए है व अन्य किसी भी आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, प्रार्थी को कोई सूचना या नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रिन्टेड प्रफार्मा में समस्त कार्यवाही की गई है जिससे पट्टा विधि अनुसार जारी नहीं हुआ है। उक्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत की सम्पत्ति नहीं थी तथा वर्ष 1965 से ही उक्त भूमि पट्टाधारीयों के स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि है, जिससे ग्राम पंचायत को उक्त प्रश्नगत पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि पट्टेशुदा भूमि का कानूनन पुनः पट्टा जारी नही हो सकता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) हंजादेवी मेघवाल के हक में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 04—01—2017 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 (दो) हंजादेवी मेघवाल के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी हंजादेवी के जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे का कोई आवासीय भूखण्ड गांव देलदर में आया हुआ नहीं है तथा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शा, मौके की स्थिति से भिन्न है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में गलत तथ्य अंकित किये है, जबकि सही हकीकत यह है कि वीराराम की शादी नहीं हुई थी तथा सवदा शादी शुदा था। सवदा के एक पुत्र है जो वर्तमान में अहमदाबाद में निवास करता है जिसका पृथक भूखण्ड व मकान मेघवाल वास, देलदर में आया हुआ हैं तथा जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल के नाम से जारी किया गया है उस भूखण्ड पर पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थीया हंजादेवी के ससुर वागाराम पुत्र धरमाजी का कब्जा था जिस पर उनके द्वारा 20—25 वर्ष पूर्व कच्चा केलुपोश का मकान बनाया गया था जो वर्ष 2017 की अतिवृष्टि में ढ़ह गया था जिसका मलबा वर्तमान में भी मौके पर मौजूद है तथा उस स्थान पर नयेसर निर्माण कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 (दो) व उसके पति द्वारा निर्माण सामग्री डलवायी हुई है जो वर्तमान में मौके पर मौजूद है, जिसकी पुष्टि प्रार्थी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अडौस पडौस के निवासी, ग्राम पंचायत मण्डवारिया से किये गये अनुसंधान व प्राप्त किये गये रिकॉर्ड से भी हो रही है, इसलिए यदि उक्त भूखण्ड पर कभी प्रार्थी का कब्जा रहा होता या प्रार्थी द्वारा निवास किया गया होता तो अवश्य ही प्रार्थी विद्युत विभाग से अपने नाम का विद्युत कनेक्शन लेता लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी मूल रूप से गांव सांथु, जिला— जालोर का निवासी है

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

और प्रारम्भ से वहीं निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की सम्पत्ति को हडपने के लिए गलत तथ्यो के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के ससुर ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था जो वर्तमान में भी यथावत् चला आ रहा है। ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवेदन पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर उक्त भूखण्ड पर वक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के परिवार का कच्चा केलुपोश मकान होने के कारण नियम 157 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं। प्रार्थी निगरानीकार ने प्रार्थी के ग्राम देलदर में निवास करने संबंधी कोई दस्तावेज यथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड या चुनाव पहचान पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है, क्योंकि प्रार्थी ने कभी ग्राम देलदर में निवास ही नहीं किया हैं इसलिए उक्त दस्तावेज प्रार्थी के नाम बने होना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत पट्टे के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 24 / 2024 पुलिस थाना बरलूट में अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 120बी में दर्ज करवाई थी जिसमें बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा नतीजा अदम वकू झूठ इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि न तो प्रार्थी ने कभी ग्राम देलदर में निवास किया, न ही प्रार्थी के परिवार के नाम से पंचायत रेकर्ड अनुसार कोई पट्टा जारी किया हुआ हैं तथा प्रकरण प्रार्थी द्वारा अनुचित लाभ कमाने के लिए झूठा होना माना है। ऐसी स्थिति में पुलिस की उक्त जाँच से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के भूखण्ड को हडपने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, अन्यथा भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा नम्बर 24 व अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जारी पट्टा संख्या 34 के नाप व चतुदर्शी से पूर्णतया भिन्नता है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उक्त स्थान पर पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का कब्जा होकर कच्चा केलुपोश मकान था तथा शादी के बाद अप्रार्थी संख्या 2 (दो) उसमें निवास करती रही, परन्तु वर्ष 2017 में अतिवृष्टि के कारण उक्त केलुपोश मकान ढह जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 (दो) ने नये मकान के लिए निर्माण सामग्री डलवाई, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की आर्थिक स्थिति खराब होने से व अप्रार्थी संख्या 2 (दो), प्रधानमत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता धारण करने के कारण नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का इस योजना में चयन किया गया जिसकी प्रथम किश्त ग्राम पंचायत के खाते में आने के बाद प्रार्थी ने वार्डपंचो व वर्तमान सरपंच से मिलीभगत कर उक्त किश्त की राशि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को प्रदान नहीं की. जिस पर अप्रार्थी पंकुदेवी द्वारा दिनांक 28–6–2022 को एक विधिक नोटिस भी विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत को प्रदान किया था। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के ससुर अलग निवास करते है तथा उनके सभी दस्तावेज भी अलग से बने हुए है। ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया ने अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के आवेदन पत्र व अप्रार्थी संख्या 2 (दो), उसके परिवार में महिला मुखिया होने के कारण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया तथा जिस भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के नाम पट्टा जारी किया गया उसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार स्वत्व या रस नहीं होने के कारण प्रार्थी को पंचायत द्वारा नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं था, अन्यथा भी नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व किसी व्यक्ति विशेष को नोटिस देने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 157(2) के तहत केवल भूमि का नियमन होता है, न कि स्वामित्व का हस्तान्तरण। जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जारी किया गया है वह उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि है जिसके संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही करने का हक अधिकार ग्राम पंचायत को ही प्राप्त है तथा

.......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उक्त भूमि पंचायत की आबादी भूमि नहीं होने के संबंध में प्रार्थी ने न तो कोई राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किया एवं न ही प्रार्थी द्वारा किसी राजस्व अधिकारी की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व आम नोटिस जारी किये गये थे जिससे उक्त पट्टे की जानकारी अन्य व्यक्तियों के साथ साथ प्रार्थी को भी प्रारम्भ से है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि वह हितबद्ध व्यक्ति कैसे है। चूंकि प्रकरण में मुख्य विवाद उत्तराधिकार का है तथा उत्तराधिकार का विवाद सक्षम सिविल द्वारा ही तय किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में जिस पट्टा संख्या 23 व 24 का उल्लेख किया है उन पट्टों को जारी करने की दिनांक, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा जारी इन पट्टों की प्रतिलिपि में अंकित दिनांक से मेल नही खाती है अर्थात् पट्टे जारी करने की दिनांक में भिन्नता है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में दर्शायें गये पट्टा संख्या 23 व 24 का नाप 30x45 वर्गफीट है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हक में जारी प्रश्नगत पट्टा का नाप 30x50 वर्गफीट है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता के कथनों के जबाव में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम परिणाम में पेरा संख्या 4 में यह अंकित किया है कि उक्त पट्टा संख्या 23 व 24 वर्ष 1975 की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही से प्राप्त की गई। इस प्रकार, पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. से भी यह साबित है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि का तहसीलदार, सिरोही द्वारा पट्टे जारी किये हुए है। प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में पडौसी कन्हैयालाल पुत्र रतनाराम जी मेघवाल, निवासी– देलदर का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की आयु कम थी, इससे यह साबित होता है कि प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) का पुराना कब्जा नही था। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से प्रस्तुत विद्युत बिल के आधार पर कब्जा साबित नही होता है। विद्युत बिल प्रश्नगत पट्टे की भूमि का है या अन्य किसी भूमि या मकान का है, यह तथ्य साबित नही है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05–10–2016 के अनुसरण में अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी जैसाराम जी, निवासी– देलदर के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 34 दिनांक 04–01–2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार का मुख्यतः कथन यह है कि "प्रार्थी के स्वामित्व तथा कब्जे का एक आवासीय भूखण्ड गाँव देलदर में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड का आवंटन, तहसीलदार, सिरोही (आवंटन अधिकारी) द्वारा प्रार्थी के मामा श्री सवदा पुत्र हरनाथ जी भांबी, निवासी–देलदर तथा श्री वीरा पुत्र हरनाथ जी भांबी, निवासी– देलदर के हक में दिनांक 03–01–1965 को किया जाकर पट्टा संख्या 24 श्री सवदा मेघवाल पुत्र हरनाथ जी के हक में तथा पट्टा संख्या 23 श्री वीरा पुत्र हरनाथ जी मेघवाल के हक में जारी किया गया था। श्री सवदा व वीराजी पुत्र हरनाथजी भांबी,

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निवासी— देलदर नाऔलाद फौत हुए, जिनके पीछे प्रथम श्रेणी के कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से उक्त दोनों भूखण्ड उनकी सगी बहन सोपू को उत्तराधिकार में प्राप्त हुये तथा सौपु की मृत्यु होने पर उक्त सम्पत्ति उनके एक मात्र उत्तराधिकार में प्रार्थी को प्राप्त हुई है। प्रार्थी के उक्त भूखण्डों को हड़प करने के आशय से अप्रार्थी श्रीमति हंजादेवी मेघवाल पत्नि जैसाराम जी ने ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर प्रार्थी के कब्जे मालकी व स्वामित्व के उक्त भूखण्ड़ का पट्टा अप्रार्थी हंजादेवी पत्नी जैसाराम जी के नाम से जारी कर दिया, जबकि प्रार्थी के स्वामित्व की पट्टेशुदा उक्त सम्पत्ति का पुनः पट्टा कानूनन, अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नि झालाराम जी या किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में जारी नहीं किया जा सकता है।'' जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (हंजादेवी मेघवाल) का कथन यह है कि ''वीराराम पुत्र हरनाथ जी की शादी नहीं हुई थी तथा सवदा पुत्र हरनाथ जी शादी शुदा था। सवदा के एक पुत्र है जो वर्तमान में अहमदाबाद में निवास करता है जिसका पृथक भूखण्ड व मकान मेघवाल वास, देलदर में आया हुआ हैं तथा जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल के नाम से जारी किया गया है उस भूखण्ड पर पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थीया हंजादेवी के ससुर वागाराम पुत्र धरमाजी का कब्जा था जिस पर उनके द्वारा 20—25 वर्ष पूर्व कच्चा केलुपोश का मकान बनाया गया था जो वर्ष 2017 की अतिवृष्टि में ढ़ह गया था जिसका मलबा वर्तमान में भी मौके पर मौजूद है एवं उस स्थान पर नयेसर निर्माण कार्य करने हेतु अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल व उसके पति द्वारा निर्माण सामग्री डलवायी हुई है व उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल के ससुर ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा नम्बर 24 व अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल को जारी पट्टा संख्या 34 के नाप व चतुदर्शी में पूर्णतया भिन्नता है।''

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम देलदर, तहसील व जिला— सिरोही में वीरा पुत्र हरनाथ जी भांबी को पट्टा संख्या 23 दिनांक 03—01—1975 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट आबादी भूमि निःशुल्क आवंटन का एवं सवदा पुत्र हरनाथ जी भांबी को पट्टा संख्या 24 दिनांक 03—01—1975 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट आबादी भूमि निःशुल्क आवंटन का जारी किया हुआ है।

प्रार्थी निगरानीकार का यह कथन सही है कि कानूनन, पट्टेशुदा भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दुबारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है तथा न ही ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन विचारणीय प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण या जांच रिपोर्ट/सीमांकन रिपोर्ट उपलब्ध नही है, जिससे यह साबित हो सके कि वस्तुतः ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा उक्त पट्टा संख्या 23 दिनांक 03—01—1975 व 24 दिनांक 03—01—1975 की भूमि पर ही अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी जैसाराम जी, निवासी— देलदर के पक्ष में पुनः पट्टा जारी किया हो। चूंकि इस प्रकरण में पत्रावली पर विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार सीमांकन रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही है, जिससे प्रमाणित रुप से यह कहां जाना संभव नही है कि ग्राम पंचायत, मण्डवारिया द्वारा अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी झालाराम जी, निवासी— देलदर के पक्ष में उक्त पट्टेशुदा भूमि का ही पुनः पट्टा जारी किया गया हो।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया, पंचायत समिति सिरोही, जिला— सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया, तहसीलदार, सिरोही के द्वारा श्री वीरा पुत्र हरनाथ जी भांबी को जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 03—01—1975 में अंकित नाप, चतुर्दशी व क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि एवं श्री सवदा पुत्र हरनाथ जी भांबी को जारी पट्टा संख्या 24

......पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

दिनांक 03—01—1975 में अंकित नाप, चतुर्दशी, क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि तथा ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी हंजादेवी पत्नी जैसाराम जी, निवासी— मण्ड़वारिया को जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 04—01—2017 में अंकित नाप, चतुर्दशी व क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट भूमि की दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके व रेकर्ड अनुसार यह जांच करे कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 23 व 24 दिनांक 03—01—1975 की भूमि पर अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी जैसाराम जी मेघवाल, निवासी— देलदर को पट्टा संख्या 34 दिनांक 04—01—2017 जारी किया गया है अथवा किसी अन्य आबादी भूमि पर जारी किया गया है। यदि जांच में उक्त पट्टा संख्या 23 व 24 दिनांक 03—01—1975 की भूमि पर ही ग्राम पंचायत, मण्ड़वारिया द्वारा अप्रार्थी हंजादेवी मेघवाल पत्नी झालाराम जी, निवासी— देलदर के हक में पट्टा संख्या 34 दिनांक 04—01—2017 जारी किया जाना पाया जाता है तो अप्रार्थी हंजादेवी पत्नी जैसाराम जी मेघवाल, निवासी— देलदर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 34 दिनांक 04—01—2017 निरस्त रहेगा, अन्यथा पट्टा यथावत रहेगा। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

(डॉ. राजेश अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही